M.A. II Sem., Political Science,

Title - Robert Nozic

Dr. Uma Sharma.

रॉबर्ट नोजिक

(Robert Nozic)

इच्छास्वतंत्रवाद (Libertarianism) बीसवीं सदी का वह राजनीतिक सिद्धान्त है जो व्यक्ति के अधिकारों का सशक्त समर्थन करता है तथा बिना किसी नियंत्रण वाली अहस्तक्षेपवादी (Laissez Faire) व्यवस्था को सबसे वांछनीय सामाजिक व्यवस्था मानता है । व्यक्ति के अधिकारों एवं उनके संरक्षण हेतु किस तरह की राजनीतिक संरचना हो? सरकार के क्या न्यायोचित कार्य हों आदि मूल प्रश्नों को यह लेकर चलता है । इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर इच्छास्वतंत्रवाद को दो भागों में बांट सकते हैं ।[1] प्रथम, पूर्णतः अराजकतावादी स्थिति को स्वीकृति प्रदान करता है तथा हर प्रकार की राजनीतिक संरचना को अन्यायोचित एवं अनैतिक करार देता है । द्वितीय, धारा को हम अल्प-अराजकतावाद (Minarchists) कह सकते हैं । इसके अनुसरणकर्ताओं का मानना है कि सरकार को हम पुलिस संरक्षण, समझौतों को लागू करवाने, राष्ट्रीयता सुरक्षा जैसे कार्य दे सकते हैं । किन्तु ये टैक्स लेने जैसे अधिकार राज्य को प्रदान करने को तैयार नहीं हैं । जबकि दूसरी तरफ अराजकतावादी राज्य के इस चौकीदारी (Nightwatchman) वाले स्वरूप को भी मानने को तैयार नहीं है । उनका मानना है कि अल्प-अराजकतावादी जो कार्य राज्य को देते हैं, वे निजी संरक्षणकारी इकाइयों से करवाया जा सकता है । सबसे पहले इच्छास्वतंत्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री मूरे एन० बोथबार्ड के लेखन में उभर कर सामने आया । बोथबार्ड ने मानव अधिकारों के निरपेक्ष मत का समर्थन अहस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था को जोड़ते हुए किया और इसी के अनुरूप उन्होंने राज्य की मान्यता को स्वीकार किया। शैक्षणिक जगत में, विशेषकर राजनीतिक दर्शन में इच्छास्वतंत्रवाद की मान्यता

को लोकप्रिय एवं प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे ज्यादा योगदान रोबर्ट नोजिक का रहा है। चूंकि प्रस्तुत अध्याय का आग्रह इच्छास्वतंत्रवाद का विवेचन करना नहीं वरन् उसके प्रतिनिधि विचारक रोबर्ट नोजिक की मान्यता का मूल्यांकन करना है । अतः यहां केवल नोजिक की मान्यता को ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

नोजिक ने वितरणात्मक न्याय के प्रचलित सिद्धान्त की समस्याओं से बचने के लिये एक ऐतिहासिक सिद्धान्त की मान्यता को स्वीकृति प्रदान की है । इस हेतु वह लॉक की प्राकृतिक अवस्था की स्थिति को स्वीकार करता है, जहां व्यक्ति के अधिकार अक्षुण्ण बने रह सकते हैं । नोजिक ने अपने अत्यल्प राज्य (Minimal State) की अवधारणा का विकास अराजकतावादियों की इस मान्यता के विपरीत किया है कि राज्य जब एक भू-भाग पर शक्ति प्रयोग एवं प्रत्येक को संरक्षण प्रदान करने हेतु उस पर प्रभुत्व बनाये रखता है तो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होना स्वभाविक है । अतः राज्य स्वाभाविक रूप से अनैतिक हैं । नोजिक ने अराजकतावादियों के इस दावे को अस्वीकार कर दिया है । नोजिक का मानना है कि राज्य की आवश्यकता को हम तभी समझ सकते हैं, जबकि हम प्राकृतिक अवस्था की प्रकृति एवं उसकी कमियों को देखें तथा प्राकृतिक अवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करके यह निष्कर्ष निकालें कि राज्य की आवश्यकता है या नहीं । जैसा कि स्पष्ट है कि इस अवस्था में राज्य के अस्तित्व को अराजकता की अवस्था की अपेक्षा जरूरी माना गया, क्योंकि राज्य उस स्थिति में सुधार करेगा । साथ ही राज्य जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है, वह कदम नैतिक दृष्टि से अस्वीकृत नहीं है । अतः राज्य के अस्तित्व को न्यायोचित ठहराया जा सकता है । जैसा कि नोजिक ने लिखा है कि 'मेरा तर्क है कि राज्य अराजकता, जैसा कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्रस्तुत किया गया, से एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ, हालांकि इसके लिए किसी ने इरादा या प्रयास नहीं किया, जिसमें किसी के अधिकारों के उल्लंघन की आवश्यकता नहीं हैं।'[2] नोजिक ने उन सभी विचारकों, विशेषकर लिसेन्डर स्पूनर, बैंजामिन टुकर, फ्रॉसिस टेन्डी एवं मूरे एन० रोथबार्ड की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया है, जो यह मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की

असुविधाओं को दूर करने के लिये अर्थात् व्यक्ति स्वयं के अधिकारों की रक्षा करने, अपने को सुरक्षित करने, सही क्षतिपूर्ति हेतु तथा दंड प्रदान करने के लिये आपस में मिलकर पारस्परिक संरक्षणकारी संघ बना सकते हैं या कोई निजी संरक्षणकारी संघ हो सकता है । इस तरह के पारस्परिक संरक्षणकारी संघ की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण कार्य के लिये बुलाया जा सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति यह कहते हुए कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अपने संघ को रक्षार्थ बुला सकता है । किन्तु नोजिक का मानना है कि इस स्थिति में कुछ निम्न असुविधायें उत्पन्न होंगी[3]:

प्रथम, यह उत्तरदायित्व किस पर होगा कि वह अपने नागरिकों को संरक्षण कार्य के लिये बुलाये या नहीं?

द्वितीय, यह कैसे तय किया जाये कि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन इसके द्वारा हो रहा है या नहीं । अगर दोनों संघों के मध्य कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो क्या किया जाये?

तृतीय, एक ही संघ के दो विभिन्न नागरिकों के मध्य आपसी अधिकारों के विवादों का कैसे निपटारा किया जाये?

ऐसी स्थिति में एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ऐसी प्रभुत्वकारी समान संरक्षण व्यवस्था की जरूरत होगी, जिसमें न्यायाधीश सभी परस्पर प्रतिस्पर्धायुक्त दावों का निपटारा तथा व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार करने के लिये बाध्य कर सके । नोजिक का मानना है कि यह प्रभुत्व संरक्षणकारी व्यवस्था लगभग अत्यल्प राज्य के समान है ।[4] किन्तु निजी प्रभुत्वकारी संरक्षण संघ अत्यल्प राज्य की अवधारणा से दो तरह से भिन्न है, जो उसको अत्यल्प राज्य का दर्जा प्रदान नहीं करती है :

प्रथम, एक भू-भाग में चाहे एक ही प्रभुत्वकारी संरक्षण एजेन्सी क्यों न हो, उसे हम राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह उस भू-भाग के सभी नागरिकों को संरक्षण प्रदान नहीं कर पाती है । यह कुछ व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रयोग की अनुमति प्रदान कर सकती है । अत: ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपने क्षेत्राधिकार में सभी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान नहीं करती है।

द्वितीय, यह राज्य के लिये आवश्यक शक्ति प्रयोग पर एकाधिकार भी नहीं रखती है और न ही ऐसा दावा कर सकती है । कोई व्यक्ति शक्ति प्रयोग कर

सकता है या कोई वर्ग/समूह कोई वैकल्पिक सत्ता की स्थापना कर सकता है।

अत: नोजिक का मानना रहा है कि चूंकि प्रभुत्वकारी संरक्षण संघ/एजेन्सी अपने सभी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करती है तथा उसका शक्ति प्रयोग पर एकाधिकार नहीं है, अत: उसे राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । जैसा कि नोजिक ने लिखा है कि 'प्रतीत होता है कि एक क्षेत्र में प्रभुत्वकारी संरक्षण एजेन्सी में न केवल शक्ति प्रयोग पर वांछित एकाधिकार का अभाव है, वरन् यह उस भू-भाग में सभी को सुरक्षा प्रदान करने में भी असफल रहती है । अत: प्रभुत्वकारी एजेन्सी राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकती है।'[5] नोजिक का मानना है कि राज्य के अस्तित्व के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण है एक भौगोलिक क्षेत्र में शक्ति प्रयोग के एकाधिकार का होना। व्यक्ति के अधिकारों के निजी संरक्षण का प्रावधान इस एकाधिकार की स्थिति के सामने कोई महत्त्व नहीं रखता है। दूसरे शब्दों में, नोजिक के अनुसार राज्य के लिये दो दशाओं का होना आवश्यक है । प्रथम, एक भू-भाग पर राज्य की शक्ति का एकाधिकार हो तथा कुछ व्यक्तियों को अपने अधिकारों को लागू करने की अनुमति न हो । द्वितीय, यह (राज्य) संरक्षण के लिये मूल्य अदा करने वालों को ही नहीं वरन् अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करे । यहां यह स्पष्ट कर देना वांछनीय होगा कि नोजिक ने स्वयं यह माना है कि शक्ति प्रयोग पर एकाधिकार ही राज्य के अस्तित्व के लिए एकमात्र आवश्यक स्थिति नहीं है । राज्य में माफिया, के० के० के०, हड़ताली यूनियनें, आदि कई ऐसे संघ या वर्ग होते हैं, जो शक्ति प्रयोग के एकाधिकार का दावा करते हैं, किन्तु उन्हें राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । अत: नोजिक का मानना है कि राज्य के अस्तित्व के लिये आवश्यक दशाओं को तय करना बहुत ही मुश्किल है।

इस तरह नोजिक का मानना है कि व्यक्ति के अधिकारों वाली व्यवस्था बनी रह सके, सामाजिक व्यवस्था कार्य करती रहे एवं व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो, इस हेतु वह राज्य जैसी प्रभुत्वकारी संरक्षण एजेन्सी के उद्भव की अनुमति देता है । जैसा कि डेविड गोर्डन ने लिखा है कि 'व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था (लॉक की प्राकृतिक अवस्था न कि हाब्स की) में अपने हित में एक प्रभुत्वकारी संरक्षण एजेन्सी उद्भव होने की स्वीकृति प्रदान करते हैं । जिसके पास एक निर्धारित भू-भाग मे शक्ति पर तथ्य संगत एकाधिकार (de facto monopoly) होता है।'[6] राज्य के पास एक भू-भाग में शक्ति की जो एकाधिकार

की स्थिति होती है वह तथ्य संगत एकाधिकार की स्थिति होती है । नोजिक का मानना है कि यह स्थिति विधिसंगत एकाधिकार (de jure monopoly) की नहीं होती है । जैसा कि नोजिक ने लिखा है कि 'यह एकाधिकार विधिसंगत नहीं है, क्योंकि यह कुछ व्यक्तियों को अधिकार देने एवं अन्यों को समान विशेषाधिकारों से वंचित करने का परिणाम नहीं है।'[7]

अत: यह स्थिति एक राज्य जैसी इकाई की स्थापना करती है । इसको नोजिक ने अत्यल्प राज्य की संज्ञा दी है । इस तरह की इकाई, अत्यल्प राज्य की रचना, अगर उपयुक्त तरीके से की जाये तो किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन की आवश्यकता नहीं होगी । अत: नोजिक का मानना रहा है कि यह अत्यल्प राज्य नैतिक रूप से न्यायोचित है तथा इसमें किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है । इस अत्यल्प राज्य से व्यापक राज्य को नोजिक ने व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला राज्य माना है । जैसा कि उसने लिखा है कि 'अत्यल्प राज्य इतना व्यापक राज्य होता है कि उसको न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इससे कोई भी व्यापक राज्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला होता है।'[8]

नोजिक का मानना है कि इस अत्यल्प राज्य को व्यक्ति अपने अधिकार, अतिक्रमणकारियों को दंड देने एवं दूसरों से सही क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु हस्तान्तरित कर देते हैं । किन्तु यह राज्य एक चौकीदारी के कार्य से परे नहीं जा सकता है । राज्य के पास शक्ति, धोखाधड़ी एवं चोरी या समझौते भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लोगों को संरक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त कोई न्यायोचित कार्य नहीं होंगे । नोजिक के अनुसार यह अत्यल्प राज्य दो रूपों से सामने आता है[9]:

प्रथम, राज्य अन्य व्यक्तियों की सहायता के लिये कुछ व्यक्तियों से टैक्स लेने में अपनी दमनकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है । नोजिक के अनुसार राज्य व्यक्तियों के कष्टों के निवारण हेतु टैक्स नहीं ले सकता है । राज्य अपने नागरिकों से केवल पुलिस, कानून, न्यायालय तथा सुरक्षा एवं चौकीदारी के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक सशस्त्र सेनाओं हेतु ही टैक्स ले सकता है । किन्तु गरीबी एवं अभावों के निवारण हेतु, चाहे इसकी कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो, या जनशिक्षा जैसे सामान्य कल्याण के कार्य हेतु टैक्स लेने को नैतिकता के आधार पर उचित नहीं ठहरा सकते हैं । टैक्स लेने की

इस स्थिति में नोजिक ने सरकार को आंशिक मालिक एवं जिन व्यक्तियों से टैक्स लिया गया उन्हें बेगार (Forced Labour) की संज्ञा दी है।[10]

द्वितीय, राज्य व्यक्तियों को उनकी गतिविधियों से नहीं रोक सकता है । चाहे व्यक्तियों की गतिविधियों पर यह रोक उनकी स्वयं की अच्छाई एवं संरक्षण के लिए ही क्यों न हो । अत्यल्प राज्य में व्यक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुए नोजिक ने लिखा है 'अत्यल्प राज्य हमें उल्लंघनीय व्यक्ति के रूप में नहीं मानता है । व्यक्ति को कोई अन्यों के साधनों, उपकरणों, यंत्रों या स्रोतों के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है । यह हमें व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों एवं गरिमा से युक्त मानता है । यह हमारे अधिकारों के सम्मान के द्वारा हमारे सम्मान के तरीके से व्यवहार करता है । यह हमें इस बात की अनुमति प्रदान करता है कि हम जैसे चाहें अपने जीवन को तय कर सकते हैं । .... समान गरिमा अन्यों को प्रदान की जाती है।'[11] इस तरह स्पष्ट है कि राज्य, अन्यों की आवश्यकताओं एवं कष्टों, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों, के निवारण हेतु कुछ नागरिकों की संपत्ति एवं आय पर कोई बोझा नहीं लाद सकता है और न ही व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है।

साथ ही नोजिक का मानना रहा है कि इस तरह के अत्यल्प राज्य में छल-कपटपूर्ण जोड़तोड़ की कोई संभावना नहीं रहती है । अर्थात् कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के प्रभाव के कारण राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी स्थिति नहीं बना सकता है । नोजिक का मानना है कि यह गैर-अत्यल्प राज्य में ही, जहां राज्य की व्यापक संरचना होती है, वहीं संभव हो सकता है, अत्यल्प राज्य में नहीं । जैसा कि नोजिक ने लिखा है कि 'अत्यल्प राज्य ने शक्ति या आर्थिक लाभ प्राप्त करने वालों द्वारा राज्य के छल-कपट तथा नियंत्रण के अवसरों को बहुत ही कम कर दिया है ... क्योंकि इसमें इस तरह के नियंत्रण एवं छल-कपट की बहुत कम इच्छा होती है।[12]

नोजिक ने न्याय के प्रचलित सिद्धान्त अर्थात् न्याय के वितरणात्मक सिद्धान्त, विशेषकर रॉल्स के न्याय के सिद्धान्त की आलोचना की । जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है कि रॉल्स अपने वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त के माध्यम से एक समतावादी समाज की स्थापना का लक्ष्य लेकर चलता है । अगर समाज के कमजोरतम वर्गों के लाभ के लिये कार्य किया जा रहा है तो वस्तुओं के आवंटन की असमानता को रॉल्स स्वीकृति प्रदान करता है । वह (रॉल्स) इस हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं वस्तुओं के पुनः वितरण की मान्यता को भी स्वीकृति प्रदान करता है । जबकि नोजिक ने रॉल्स की इस वितरणात्मक सामाजिक न्याय की मान्यता को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है । नोजिक का मानना है कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त के द्वारा एक 'व्यापक राज्य' के उद्भव की संभावना हो जाती है, जो नैतिक दृष्टि से अमान्य है, क्योंकि इस व्यापक राज्य से व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है । नोजिक ने कहा कि रॉल्स व्यापक राज्य की मान्यता को स्वीकृति इसलिए प्रदान करता है कि वह वितरणात्मक न्याय की प्राप्ति के लिये आवश्यक है तथा उसके लिए सबसे अच्छा उपकरण है । जबकि स्वयं नोजिक ने न्याय के नाम पर संपत्ति के वितरण हेतु राज्य या इस जैसे किसी भी निकाय को अस्वीकार किया है । साथ ही नोजिक प्रचलित इस मान्यता को भी स्वीकार नहीं करता है कि वस्तुओं का न्यायोचित वितरण सामाजिक निर्णय प्रक्रिया की देन है । नोजिक ने सामाजिक निर्णय प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया है । उसके अनुसार सभी निर्णय व्यक्तिगत होते हैं।

हार्ट द्वारा प्रतिपादित एवं रॉल्स द्वारा विकसित निष्पक्षता के सिद्धान्त (Theory of Fairness)[16] को नोजिक ने अस्वीकार कर दिया है । सामाजिक समझौतों के माध्यम द्वारा कुछ विशिष्ट अधिकारों एवं दायित्वों को स्वीकार करने की स्थिति को हार्ट एवं रॉल्स ने निष्पक्षता के सिद्धान्त की संज्ञा दी है । निष्पक्षता के सिद्धान्त को अस्वीकार करते हुये नोजिक ने इसको आपत्तिजनक

एवं अस्वीकार्य सिद्धान्त माना है क्योंकि निष्पक्षता का सिद्धान्त दायित्वों के प्रावधानों को जन्म देता है तथा दायित्व व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे प्रमुख कुठाराघात है । नोजिक एक उदारहण देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करता है । अगर व्यक्तियों का एक वर्ग सभी पड़ौसियों के मनोरंजन हेतु एक लोक प्रदर्शन व्यवस्था की स्थापना करता है। यह छोटा वर्ग बिना सभी पड़ौसियों से पूछे पूरे वर्ष की एक सूची तैयार करके व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रदर्शन करने का दिन तय कर देता है और उस व्यक्ति से कहा जाता है कि वह उस दिन विभिन्न प्रकार से लोगों का मनोरंजन करे । उस दिन क्या व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह प्रदर्शन करे? नोजिक इसका उत्तर नकारात्मक देता है । नोजिक के अनुसार यह सिद्धान्त अस्वीकार्य इसलिये है क्योंकि हार्ट एवं रॉल्स के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को अपना दायित्व पूरा करना चाहिये । चूंकि व्यक्ति अपनी बारी आने तक उस व्यवस्था से लाभ लेता रहा है, अतः उसे दायित्व पूरा करना चाहिये । नोजिक ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुये कहा है कि चाहे व्यक्ति उस व्यवस्था से निष्क्रिय लाभकर्ता (Passive recipient) के रूप में लाभ लेता रहा हो किन्तु अगर वह मूल कार्य योजना में भागीदार नहीं है तो उसे अपनी बारी पर दायित्व पूरा करना जरूरी नहीं है। साथ ही नोजिक के अनुसार यह सिद्धान्त आपत्तिजनक भी है क्योंकि यह भी संभव है कि व्यक्ति के द्वारा लिया गया लाभ उसके देय अंश की कीमत से कम भी हो सकता है । अतः नोजिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि दायित्वों, जिनके लिये व्यक्तियों की सहमति नहीं ली जाती है, का आरोपण एवं उनका लागू किया जाना व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को मुख्य चुनौती है । नोजिक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी अक्षुण्ण बनी रह सकती है, जबकि दायित्वों का प्रावधान बहुत ही कम हो तथा स्वैच्छिक समझौतों एवं विनिमय का व्यापक प्रावधान हो।

यहां यह उल्लेख करना वांछनीय होगा कि नोजिक ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि हार्ट एवं रॉल्स के निष्पक्षता के सिद्धान्त में निष्क्रिय लाभ प्राप्त व्यक्ति को भी दायित्व निर्वाह करना चाहिये । हार्ट एवं रॉल्स दोनों में से किसी ने भी अपने सिद्धान्त में निष्क्रिय लाभ प्राप्तकर्ता को अर्थात् जो सहकारी कार्य योजना में सहभागी नहीं है, उसे भी दायित्वों को पूरा करने के लिये नहीं कहता है । रॉल्स का निष्पक्षता का सिद्धान्त उन्हीं लाभ-प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होता है जो स्वैच्छिक रूप से तैयार हों । स्वैच्छिक रूप से तैयार होने का तात्पर्य

यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने आप को उस सामाजिक व्यवहार में सक्रिय सहभागी माने । किन्तु जहां तक राज्य का संबंध है, उस पर यह बात हमेशा लागू नहीं होती है । अत: प्रश्न उठता है कि राज्य जैसी गैर स्वैच्छिक संस्थाओं की आज्ञापालन की नैतिक आवश्यकता क्यों है? रॉल्स कहता है कि इसकी एकमात्र आवश्यकता इसलिए है कि यह संस्था न्यायोचित है । इसे रॉल्स ने न्याय को प्राकृतिक कर्तव्यों की संज्ञा दी है।[17] किन्तु साथ ही रॉल्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सरकार से लाभ लेने वाले व्यक्तियों को सरकार के कानूनों को मानना एक दायित्व है । नोजिक ने यह गलत निष्कर्ष संभवत: इस कारण निकाला कि रॉल्स ने अपनी पुस्तक 'थ्यूरी ऑफ जस्टिस' के अनुभाग 52 तथा 18 में कुछ विरोधाभासी स्थिति को उजागर किया है । किन्तु रॉल्स ने अनुभाग 52 में इस सिद्धान्त का विस्तार से विवेचन किया है । यहां वह निष्क्रिय लाभ प्राप्तकर्ता को दायित्व निर्वाह के लिये नहीं कहता है।

न्याय के अधिकृतता का सिद्धान्त : नोजिक की न्याय की अवधारणा

नोजिक ने प्रचलित वितरणात्मक न्याय सिद्धान्त की जगह न्याय के अधिकृतता का सिद्धान्त (Theory of entitlement) प्रस्तुत किया है । नोजिक का मानना है कि न्याय के अधिकृतता का सिद्धान्त एक प्रक्रियात्मक सिद्धान्त है जो कि 'न्यायोचित स्थिति में न्यायोचित कदमों द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह अपने आप में न्यायोचित है।'[18] जन संपत्ति (Holdings) के बारे में नोजिक ने तीन सिद्धान्तों का विवेचन किया है —प्रथम, *संपत्ति के मूल अधिग्रहण में न्याय का सिद्धान्त* (Principle of justice in original acquisition of holding) : इसमें नोजिक उन सभी मुद्दों को सम्मिलित करता है, जो गैर आधिपत्य की चीजों को आधिपत्य में लेने से संबंधित होते हैं । अर्थात् इसमें वह प्रक्रिया या प्रक्रियायें आती हैं, जिनके द्वारा गैर आधिपत्य की चीजें आधिपत्य में आ सकती हैं । अत: नोजिक ने इसकी संपत्ति के मूल अधिग्रहण में न्याय के सिद्धान्त की संज्ञा दी है।

द्वितीय, *संपत्ति के स्थानान्तरण में न्याय का सिद्धान्त* (Principle of justice in transfer of holding) : इसमें नोजिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास

संपत्ति के स्थानान्तरण को लेता है । अर्थात् वे कौन सी प्रक्रियायें हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति से संपत्ति दूसरे व्यक्ति के पास स्थानान्तरित होती है । अतः नोजिक इसमें उन साधनों एवं प्रक्रियाओं को लेता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति की संपत्ति की अधिकृतता को बदला जा सके एवं वह दूसरे व्यक्ति को दी जा सके । इसमें नोजिक स्वैच्छिक विनिमय तथा उपहार के रूप में स्थानान्तरण को लेता है । यहां यह स्पष्ट करना वांछनीय होगा कि नोजिक ने भी अन्य इच्छास्वतंत्रवादी विचारकों की भांति विनिमय (समझौतों) को संपत्ति के स्थानान्तरण का प्राथमिक साधन माना है । जबकि वह उपहार को द्वितीय श्रेणी में रखता है । नोजिक के विश्लेषण में मतदान द्वारा सहमति, विचार-विमर्श द्वारा सहमति, सेवाओं के द्वारा, टैक्स, धोखा, छीनना, चोरी आदि द्वारा स्थानान्तरण को कोई स्थान नहीं है।

तृतीय, *अन्यायोचित संपत्ति के संशोधन का सिद्धान्त* (Principle of rectification of unjust holding): नोजिक के अनुसार अधिकृतता के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यक्ति किसी भी वस्तु या संपत्ति के लिये अधिकृत है, अगर वह अधिग्रहण संबंधी न्याय तथा स्थानान्तरण संबंधी न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप प्राप्त की गई । किन्तु नोजिक का मानना है कि कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिनमें संपत्ति की प्राप्ति पहले दो सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हो पाती है । जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चीजों को चोरी करके प्राप्त कर लेता है, धोखाधड़ी करके छीन सकता है, अधीनस्थ कर सकता है एवं दूसरों को प्रतियोगिता से वंचित कर सकता है । नोजिक के अनुसार इन तरीकों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें स्वीकृत पद्धति द्वारा संपत्ति का सौदा नहीं हो सकता है । नोजिक का मानना है कि भूतकाल में अगर अन्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति प्राप्त की गई है तो उस अन्याय का संशोधन एवं सुधार होना चाहिए। नोजिक का मानना है कि अत्यल्प राज्य में संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता तब पड़ती है जब अधिग्रहण या स्थानान्तरण से किसी सिद्धान्त का उल्लंघन होता हो । दूसरे शब्दों में, जब पहले दोनों सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है तो तीसरे की जरूरत पड़ती है । इसमें नोजिक उन दायित्वों एवं क्षतिपूर्तियों का विवेचन करता है, जो कि अन्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति प्राप्त करने वालों को पीड़ितों के प्रति, जिनसे संपत्ति प्राप्त की गई है, करना चाहिये । इसको नोजिक ने संपत्ति के अन्यायोचित के संशोधन के सिद्धान्त की संज्ञा दी है । किन्तु रोबर्ट

ई० लिटन का मानना है कि नोजिक के संशोधन विश्लेषण से दो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं।[19] प्रथम, संशोधन के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति तथा उसके लोक कल्याण के मध्य कोई संबंध स्थापित हो पाता है या नहीं । द्वितीय, अगर ऐसा होता है तो किस मात्रा में प्रमाण की आवश्यकता होती है।

इस तरह स्पष्ट है कि नोजिक 'प्रथम सिद्धान्त द्वारा संपत्ति के उद्भव, द्वितीय द्वारा एक मालिक से दूसरे मालिक को स्थानान्तरण तथा तृतीय द्वारा उपचार की दशायें तय करता है।'[20] नोजिक के अनुसार सामाजिक वितरण तभी न्यायसंगत होगा, जबकि यह वैधानिक अधिग्रहण तथा स्थानान्तरण द्वारा होता हो । संपत्ति का मूल अधिग्रहण तभी न्यायसंगत होगा, जब वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करता हो । उदाहरण के लिये अगर वस्तुओं पर पहले से किसी का दावा या आधिपत्य न हो तथा उनका निजी आधिपत्य का अधिकार किसी अन्यों को बद्तर स्थिति में न धकेलता हो, तब ही वह अधिग्रहण न्यायसंगत होगा । दूसरे शब्दों में, अगर अधिग्रहण भविष्य में व्यक्तियों को बद्तर स्थिति में लाता है तो वह मान्य नहीं है । नोजिक ने बद्तर स्थिति उत्पन्न होने के कारण अधिग्रहण न करने को लॉक के उपबन्ध (Lockean Proviso) की संज्ञा दी है । लॉक के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये नोजिक ने कहा है कि मूल संपत्ति को, जब उस पर किसी का दावा न हो, तभी लिया जा सकता है, तथा इसके अधिग्रहण के बाद भी अन्यों के लिये वह पर्याप्त मात्रा में बचे । अतः नोजिक ऐसी किसी गैर दावेयुक्त वस्तु के अधिग्रहण के विपरीत है, जो सीमित है तथा उसके अधिग्रहण से अन्यों पर बुरा असर पड़ता है । इसी आधार पर माइकल डेविस ने यह निष्कर्ष निकाला है कि नोजिक ने कोई अधिग्रहण का सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया, वरन् उसने लॉक की मान्यता को स्वीकार किया है । उन्हीं के शब्दों में 'नोजिक अधिग्रहणता का सिद्धान्त प्रदान नहीं करता है, हालांकि वह स्पष्टतः इसकी आवश्यकता महसूस करता है । वह विवेचन के उदेश्य से लॉक के संपत्ति संबंधी प्रसिद्ध विश्लेषण को स्वीकार करता है।'[21] साथ ही नोजिक के अनुसार स्थानान्तरण तभी न्यायसंगत होगा, जब वह स्वैच्छिक होगा। अगर वस्तुओं का स्थानान्तरण किन्हीं व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहंचाता है, तब भी वह न्यायसंगत उस समय तक नहीं होगा, जब तक कि वह स्थानान्तरण स्वैच्छिक न हो ।

यहां यह स्पष्ट कर देना वांछनीय होगा कि नोजिक की न्यायसंगत वितरण

व्यवस्था की मान्यता में सामाजिकता से प्रेरित न्याय की अवधारणा, राज्य की भूमिका तथा नैतिक दायित्वों का कोई स्थान नहीं है । नोजिक का आग्रह रहा है कि वितरणात्मक न्याय के लिये राज्य को अधिकार देना गलत है । अतः नोजिक का मानना रहा है कि राज्य द्वारा नागरिकों की संपत्ति का पुनः वितरण करना एवं पितृसत्तात्मक विधान बनाना उचित नहीं है । जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है कि इस मान्यता का यह परिणाम हुआ है कि नोजिक राज्य को लोक कल्याण, शिक्षा तथा अन्य लोकहित की गतिविधियों के संचालन का अधिकार नहीं देता है । नोजिक के अनुसार ये गतिविधियां केवल स्वैच्छिक संघों द्वारा ही की जानी चाहिये । प्रगतिशील आयकर लेना अनुचित है । इस दृष्टि से पीटर सिंगर ने उदारवादी व्यवस्था को नोजिक की इस देन का उल्लेख करते हुये लिखा है कि समानता के लिये संपत्ति के पुनः वितरण का राज्य को अधिकार देने वालों को आगे से इस पर सोचना होगा । उन्हीं के शब्दों में 'बिना किसी तर्क के राजनीतिक दार्शनिक यह मानने लगे थे कि समानता की दशा में न्याय के लिये संपत्ति के व्यापक पुनर्वितरण की आवश्यकता है और इस वितरण के लिये राज्य को दमनकारी साधनों, जैसे प्रगतिशील कर लगाने का वैधानिक कार्य प्राप्त है । ये मान्यतायें सही हो सकती हैं, किन्तु Anarchy, state and Utopia के बाद उन्हें इसकी गारन्टी की बजाय अपने सुरक्षात्मक बचाव की आवश्यकता होगी तथा इसके लिये तर्क करना होगा।'[22] पीटर सिंगर ने नोजिक के न्याय के अधिकृतता के सिद्धान्त को, विशेषकर इन वर्षों में अधिकांश दार्शनिकों द्वारा विवेचित वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्तों से क्रांतिकारी अन्तर की संज्ञा दी है । यद्यपि नोजिक ने अपने न्याय के अधिकृतता के सिद्धान्त का अधिकांश भाग रॉल्स की आलोचना के रूप में विकसित किया है, किन्तु उसका यह सिद्धान्त उसकी अत्यल्प राज्य की अवधारणा के अनुरूप है । इस तरह स्पष्ट है कि नोजिक के अनुसार न्याय का प्रचलित सिद्धान्त अत्यल्प राज्य की अपेक्षा अधिक व्यापक राज्य को उचित ठहराता है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि राज्य को वे सभी चीजें करनी चाहिये जो वितरण व्यवस्था को बनाये रखने के लिये आवश्यक हैं । जबकि दूसरी तरफ अधिकृतता का सिद्धान्त केवल अत्यल्प राज्य को ही उचित ठहराता है, क्योंकि वह राज्य को अधिग्रहण एवं स्थानान्तरण की प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने तक सीमित करता है । यह सिद्धान्त राज्य को इस बात के लिए भी प्रतिबंधित करता है कि वह किसी भी दिशा में उन्हें निर्देशित करने का प्रयास न करे।

निष्कर्ष (Conclusion)

नोजिक की पुस्तक को उदारवादी राजनीतिक चिन्तन में एक प्रमुख क्रांतिकारी कदम के रूप में माना गया तथा अमेरिका में नोजिक की मान्यता का काफी स्वागत हुआ तथा इस पुस्तक को निजी उद्यम की समर्थक तथा लोक कल्याणकारी राज्य की प्रभावी आलोचना के रूप में माना गया है । इस पुस्तक में नोजिक ने अत्यल्प या चौकीदार राज्य का सशक्त समर्थन किया है एवं राज्य को शक्ति, चोरी, धोखाधड़ी के विरुद्ध सुरक्षा समझौतों को लागू करवाना जैसे कार्यों तक सीमित कर दिया है । नोजिक राजनीतिक उदारवाद की एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आया है, क्योंकि वह राज्य को न्यूनतम कार्य, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था एवं व्यक्ति के अउल्लंघनीय अधिकारों की मान्यता को लेकर चलता है । नोजिक राज्य को केवलमात्र स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को बनाये रखने तक सीमित कार्यों को करने की अनुमति प्रदान करता है । नोजिक का आग्रह एक तरफ राज्य को वितरण संबंधी कार्य करने से रोकता है तो दूसरी तरफ उनका आग्रह राज्य को टैक्स लेकर सामाजिक उपयोग के एवं सामाजिक कल्याण के कार्यों को भी अस्वीकृति प्रदान करने का रहा है । नोजिक राज्य के क्षेत्राधिकार को चौकीदार कार्य तक ही सीमित रखता है । अतः नोजिक स्वयं यह दावा करता है कि उसकी अत्यल्प राज्य की धारणा राज्य के क्लासिकल उदारवादी सिद्धांत के बहुत निकट है। साथ ही नोजिक अउल्लंघनीय व्यक्ति के अधिकारों की मान्यता को लेकर चलता है । नोजिक ने अधिक व्यापक राज्य को केवलमात्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि उसमें व्यक्ति के अधिकार अक्षुण्ण नहीं बने रह सकते हैं । अतः स्पष्ट है कि नोजिक व्यक्ति की स्वायत्तता की मान्यता लेकर चलता है, जो कि उदारवाद का मूल आधार है।

समसामयिक युग में रोबर्ट नोजिक उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता होने एवं जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धान्त की उदारवादी दृष्टिकोण से आलोचना करने के कारण पिछले दो दशक से काफी चर्चित राजनीतिक दार्शनिक रहा है । किन्तु साथ ही नोजिक की तीव्र आलोचना भी हुई है । नोजिक के प्रमुख आलोचकों में हम दो विचारकों शेल्डोन एस० वोलिन एवं करेन जॉनसन को लेते हैं । जहां तक शेल्डोन वोलिन का प्रश्न है, उनका मानना है कि नोजिक की पुस्तक का न केवल सारांश अनुभाग वरन् उनकी पूरी पुस्तक आदर्शवादी है, जो कहीं भी संभव नहीं है । साथ ही नोजिक की पुस्तक की मूल मान्यताओं में ही विरोधाभास पाया जाता है । यह दो रूपों में प्रकट होता है । प्रथम, उदाहरण के लिये एक तरफ नोजिक ने राज्य की शक्ति पर एकाधिकार के रूप में परिभाषित किया है तो दूसरी तरफ वह व्यक्ति को निरपेक्ष अधिकार देता है । साथ ही यहां यह उल्लेख करना भी वांछनीय होगा कि नोजिक अपनी पुस्तक का प्रारंभ ही व्यक्ति के अधिकारों के दावे के साथ करता है तथा वह बार–बार यह याद दिलवाता है कि व्यक्ति के पास अधिकार हैं, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है । किन्तु नोजिक ने अधिकारों का न तो विस्तार से उल्लेख किया है और न ही वह व्यापक रूप से उनका समर्थन करता है।[27] इस तथ्य

को नोजिक ने स्वयं भी स्वीकार किया है । हालांकि यह जरूर कहता है कि वह इस विषय पर भविष्य में लिखेगा।[28] द्वितीय, जब नोजिक व्यक्ति के अधिकारों का स्पष्ट विवेचन नहीं करता है तो राज्य पर सीमाओं को लागू किये जाने की कल्पना करना निरर्थक है । अगर व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे कैसे बचाया जाये, यह स्पष्ट नहीं है । अत: नोजिक पर आरोप लगाया जाता है कि वह व्यक्ति के अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है।[29]

नोजिक के आलोचकों में दूसरा प्रमुख विचारक करेन जॉनसन है।[30] उन्होंने नोजिक के दर्शन को राजनीति विरोधी दर्शन की संज्ञा देते हुए नोजिक पर दो आरोप लगाये हैं: प्रथम, करेन जॉनसन का मानना है कि अत्यल्प राज्य राजनीति व्यवस्था नहीं वरन् वाणिज्यिक उपक्रम है । अत: नोजिक का आग्रह राजनीति की अस्वीकृति पर रहा है । दूसरे शब्दों में नोजिक की दृष्टि राजनीतिक विरोधी रही है । उन्हीं के शब्दों में, 'नोजिक का अत्यल्प राज्य राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि वाणिज्यिक उपक्रम है । यह एक प्रकार की इंश्योरेंस कम्पनी है, जो व्यक्तियों को, अन्य लोगों द्वारा उनके व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध संरक्षण को बेचती है । राजनीति लोक चीजों से जुड़ी होती है, जबकि एक वाणिज्यिक उपक्रम एवं उसके ग्राहकों के संबंधों में लोक चीजों का कोई स्थान नहीं रहता है । अत: नोजिक का अत्यल्प राज्य का समर्थन निजीकरण की प्रस्तावना है और इस तरह संपूर्ण मानव जीवन का वह वस्तुत: गैर राजनीतिकरण करता है।[31] करेन जॉनसन का मानना रहा है कि नोजिक अपनी मान्यता में जो चार आधार लेकर चलता है, वे चारों ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विरुद्ध हैं । नोजिक की मान्यता का प्रथम एवं सबसे प्रमुख आधार है : व्यक्ति के अधिकारों की अउल्लंघनीयता । नोजिक व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों की उस समय तक अनुमति देता है जब तक कि वे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण न करें । इस बिन्दु पर करेन जॉनसन का मानना रहा है कि नोजिक ने राज्य को संघर्षरत एवं उचित दावों के निपटारों का अधिकार प्रदान न करके, उसको जन क्षेत्र के स्वरूप से अलग कर दिया है । नोजिक की मान्यता का दूसरा आधार है—समाज की संरचना एवं मूल्यांकन की उचित आधार प्रक्रिया है न कि लक्ष्य । यहां करेन जॉनसन का मानना रहा है कि प्रक्रिया को अच्छा

समाज के मूल्यांकन की एकमात्र कसौटी मानने का नोजिक का आग्रह किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनकार्य को अस्वीकार करता है । करेन जॉनसन के अनुसार नोजिक की मान्यता का तृतीय आधार सामाजिक परमाणुवाद (Social Atomism) है, अर्थात्, सामाजिक वर्ग विभिन्न व्यक्तियों के योग से ज्यादा नहीं होता है । किन्तु सामाजिक परमाणुवाद का सिद्धान्त जनहित की अवधारणा को अस्वीकार करता है । चौथे आधार—राज्य का एक शक्ति के रूप में मानने का आग्रह—का विवेचन करते हुए जॉनसन ने लिखा है कि अगर राज्य का सार शक्ति है तो स्वाभाविक रूप से सरकारी कार्यवाही का तात्पर्य दमन, व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण एवं व्यक्ति के विरुद्ध अतिक्रमण का एक रूप होगा । जबकि माना यह गया है कि राज्य व्यक्तियों का संरक्षण करेगा। अत: करेन जॉनसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि नोजिक के राज्य की अवधारणा में राजनीतिक तत्वों का अभाव पाया जाता है । करेन जॉनसन के समान ही पीटर पी० विटोंसकी ने भी यही निष्कर्ष निकाला है । पीटर पी० विटोंसकी ने लिखा है कि 'नोजिक का अत्यल्प राज्य, राज्य की अपेक्षा स्वतंत्र बाजार ज्यादा है और यह बाजार शक्तियों से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है, उनसे वह इसकी प्रकृति का उल्लंघन किये बिना बच नहीं सकता है।'[32]

द्वितीय, जॉनसन ने नोजिक के सिद्धान्त की दूसरी कमी को प्रकट करते हुए कहा कि नोजिक के व्यक्ति के अधिकारों की अवधारणा में असत्यता पाई जाती है । जॉनसन का मानना है कि नोजिक के व्यक्ति के अधिकारों की अवधारणा एवं उसकी लॉक-उपबन्ध (Lockean Proviso) में विरोधाभास पाया जाता है । एक तरफ नोजिक व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों का समर्थन करता है तो दूसरी तरफ वह लॉक के उपबन्ध में व्यक्ति के ऊपर नैतिक मर्यादाओं का प्रतिबंध लगाता है । दूसरे शब्दों में, नोजिक एक तरफ व्यक्तिवाद का समर्थन करता है तो दूसरी तरफ वह सामान्य अच्छाई की धारणा पर जोर देता है । जबकि इन दोनों स्थितियों में कोई सांमजस्य नहीं है । निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि समसामयिक युग में व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों वाले इच्छास्वतंत्रवादी राजनीतिक सिद्धान्त लेकर चलने के कारण नोजिक शैक्षणिक जगत् में काफी प्रसिद्ध विचारक रहा है , किन्तु लोक-कल्याण राज्य की मान्यता को स्वीकार न कर पाने के कारण काफी आलोचनाओं एवं विवादों से ग्रसित विचारक भी रहा है।

"लीलाराम गुर्जर, बीसवीं सदी के राजनीतिक विचारक , मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, (1997)